

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

संख्या:- 983 / प्र0अ0 / कार्मिक-1 / ई-5 / स्था0-2024,

दिनांक: 16 अप्रैल, 2024

विषय:- स्थानान्तरण सत्र 2024 में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों की अपलोड सूची के सम्बन्ध में आपत्ति हेतु अपना प्रत्यावेदन 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 / स्तर-2 (सिविल / यांत्रिक) सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड।

समस्त अधीक्षण अभियन्ता (सिविल / यांत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त विषयक सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के अन्तर्गत समूह 'क' एवं 'ख' में कार्यरत कार्मिकों की सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की सूचियां वरिष्ठता क्रम में विभागीय वैबसाइट पर अपलोड की गई है।

अतः विभागीय वैबसाइट पर अपलोड सूची के आधार पर अपना प्रत्यावेदन / प्रार्थना पत्र निम्नानुसार तय समय सीमा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. अपलोड की गयी सूची पर आपत्ति करने हेतु आवेदन पत्र देने की तिथि 18.04.2024
2. स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 23(4) के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों द्वारा अधिकतम 10 ऐच्छिक स्थानों के विकल्प दिये जाने की तिथि-20.04.2024
3. स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 23(5) के अनुसार अनुरोध के आधार पर आवेदन किये जाने की तिथि-30.04.2024

सम्बन्धित कार्मिक अपना प्रत्यावेदन / अनुरोध पत्र उचित साक्ष्यों सहित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


(संजीव कुमार श्रीवास्तव)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-1)
कृते प्रमुख अभियन्ता


15/04/24